35

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः–प्राशिप/सम्बद्धता/2013/ 5904-6278 लखनऊःदिनांक– 15-05-2013

:– कार्यालय ज्ञाप :–

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2013–14 हेतु डिग्री स्तरीय संस्थाओं को द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अनुमोदन के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 9–5–2013 को बैठक संपन्न हुई। बैठक में संलग्न सूची के अनुसार संस्थाओं को सम्बद्धता सत्र 2013–14 तक प्रदान किये जाने का निर्णय निम्न शर्तों के साथ लिया गया है :–

"संस्था की संचालक सोसाइटी द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सम्बद्धता हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ के सम्मुख प्रस्तुत सभी तथ्य उनकी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सही है एवं उनके द्वारा इस संबंध में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ए0आई0सी0टी0ई की टीम के निरीक्षण के समय भी सभी तथ्यों को टीम के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था तथा तत्समय भी कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, और परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा संस्था का निरीक्षण किए जाने पर किसी भी प्रकार के मानकों में यदि कोई कमी पाई जाती है तो संस्था की सम्बद्धता स्वतः समाप्त मानी जाएगी, और सोसाइटी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संस्था की संचालक सोसाइटी स्वयं उत्तरदायी होगी।"

संलग्न विवरण के अनुसार संबंधित संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2013–14 हेतु उपरोक्त शर्त के साथ–साथ निम्नांकित शर्तों के अधीन सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाता है ।

<u>सम्बद्धता हेतु शर्तें</u>

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली–1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम सहित) हेतु रू0 28,000/– प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रू0 20,000 शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2013–14 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को {उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना } विनियमावली–2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।